

**СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
ЗА НАУЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДИЯ**

**ACUERDO
POR EL QUE SE RENUEVA EL ACUERDO
DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA**

**DOHODA,
KTEROU SE OBNOVUJE DOHODA
O VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM
A VLÁDOU INDICKÉ REPUBLIKY**

**AFTALE
OM FORLÆNGELSE AF AFTALEN
OM VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK SAMARBEJDE
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
OG REGERINGEN FOR REPUBLIKKEN INDIEN**

**ABKOMMEN
ZUR VERLÄNGERUNG DES ABKOMMENS
ÜBER DIE WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
UND DER REGIERUNG DER REPUBLIK INDIEN**

**LEPING,
MILLEGA PIKENDATAKSE
EUROOPA ÜHENDUSE
JA INDIA VABARIIGI VALITSUSE VAHELIST
TEADUS- JA TEHNOLOOGIAKOOSTÖÖ
LEPINGUT**

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ**

**AGREEMENT
RENEWING THE AGREEMENT
FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA**

**ACCORD
RECONDUISANT L'ACCORD
DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE**

**ACCORDO
CHE RINNOVA L'ACCORDO
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA**

**NOLĪGUMS,
AR KO ATJAUNO NOLĪGUMU PAR SADARBĪBU
ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS JAUTĀJUMOS
STARP EIROPAS KOPIENU
UN INDIJAS REPUBLIKAS VALDĪBU**

**SUSITARIMAS
ATNAUJINANTIS
EUROPOS BENDRIJOS
IR INDIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUSITARIMĄ
DĖL MOKSLINIO IR TECHNOLOGINIO BENDRADARBIAVIMO**

**MEGÁLLAPODÁS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG
ÉS AZ INDIAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI
TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLOGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL**

**FTEHIM
LI JĠEDDED IL-FTEHIM
TA' KOPERAZZJONI XJENTIFIKA U TEKNOLOĠIKA
BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA
U L-GVERN TAR-REPUBBLIKA TA' L-INDJA**

**OVEREENKOMST
TOT HERNIEUWING VAN DE OVEREENKOMST
VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE SAMENWERKING
TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
EN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDIA**

**UMOWA
ODNAWIAJĄCA UMOWĘ
W SPRAWIE WSPÓLPRACY NAUKOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ
MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ
A RZĄDEM REPUBLIKI INDII**

**ACORDO
QUE RENOVA O ACORDO
DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA**

**ACORD
DE REÎNNOIRE A ACORDULUI
DE COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ
ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ
ȘI GUVERNUL REPUBLICII INDIA**

**DOHODA
O OBNOVENÍ DOHODY
O VEDECKEJ A TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI
MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM
A VLÁDOU INDICKEJ REPUBLIKY**

**SPORAZUM
O PODALJŠANJU SPORAZUMA
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO
IN VLADO REPUBLIKE INDIJE**

**SOPIMUS
EUROOPAN YHTEISÖN
JA INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN
VÄLISEN TIEDE- JA TEKNOLOGIAYHTEISTYÖTÄ KOSKEVAN
SOPIMUKSEN UUSIMISESTA**

**AVTAL
OM FÖRNYANDE AV AVTALET
OM VETENSKAPLIGT OCH TEKNISKT SAMARBETE
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
OCH REPUBLIKEN INDIENS REGERING**

**भारत गणराज्य की सरकार और
यूरोपीय समुदाय के बीच वैज्ञानिक
एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए करार**

भारत गणराज्य की सरकार और
यूरोपीय समुदाय के बीच वैज्ञानिक
एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए करार

IN/CE/in 1

IN/CE/in 2

भारत गणराज्य की सरकार जिसे इसके बाद एक पक्ष की ओर से 'भारत' के रूप में उल्लिखित किया जाएगा, और

यूरोपीय समुदाय, जिसे इसके बाद से दूसरे पक्ष की ओर से 'समुदाय' के रूप में उल्लिखित किया जाएगा,

जिन्हें इसके बाद 'पक्षों' के रूप में उल्लिखित किया जाएगा,

अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर विचार करते हुए,

इस बात के अभिज्ञान में कि भारत और यूरोपीय समुदाय द्वारा बड़ी संख्या में समान हित के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तथा यदि दोनों पक्ष सहयोग को और बढ़ावा देते हैं तो परस्पर लाभ प्राप्त हो सकते हैं,

इस बात पर ध्यान देते हुए कि भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच साझेदारी एवं विकास पर 20 दिसम्बर, 1993 को सम्पन्न करार के तहत बड़ी संख्या में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग एवं सूचना का आदान - प्रदान हुआ है,

अक्टूबर, 2006 में हेलसिंकी में भारत - यूरोपीय समुदाय की शिखर बैठक के निष्कर्षों पर विचार करते हुए जिसमें कहा गया है 'नेतृत्वकर्ता 2007 में भारत - यूरोपीय समुदाय विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार के नवीकरण हेतु उत्सुक हैं',

समान हितों के क्षेत्रों में सहयोगात्मक गतिविधियों के संचालन को सुदृढ़ करने तथा इस प्रकार के सहयोग से प्राप्त परिणामों को अपने आर्थिक एवं सामाजिक लाभ के लिए अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में सहयोग का विस्तार करने की इच्छा प्रकट करते हुए,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद - 1

उद्देश्य

दोनों पक्ष भारत तथा समुदाय के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े समान हित के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे और सुविधाजनक बनाएंगे।

अनुच्छेद - 2

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजन के लिए:

- (क) 'सहयोगात्मक गतिविधि' का तात्पर्य ऐसी गतिविधि से है जिसे दोनों पक्षों द्वारा इस करार के अनुसरण में शुरू किया जाता है या सहयोग प्रदान किया जाता है, और इसमें संयुक्त अनुसंधान शामिल हैं ;
- (ख) 'सूचना' का तात्पर्य इस करार के तहत प्रचलित संयुक्त अनुसंधान से प्राप्त वैज्ञानिक अथवा तकनीकी आंकड़े, अनुसंधान और विकास परिणाम अथवा प्रणालियां तथा ऐसे कोई अन्य आंकड़े जो प्रतिभागियों द्वारा सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए आवश्यक समझे जायें, जिसमें स्वयं पक्षों के लिए आवश्यक आंकड़े भी शामिल हैं ;
- (ग) 'बौद्धिक सम्पदा' का अर्थ स्टॉकहोम में 14 जुलाई, 1967 को विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन स्थापित करने हेतु सम्पन्न सम्मेलन के अनुच्छेद 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा ;

(घ) 'संयुक्त अनुसंधान' का तात्पर्य ऐसे अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास या निदर्शन परियोजना से है जिसे एक या दोनों पक्षों के वित्तीय सहयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा जिसमें भारत एवं समुदाय दोनों के प्रतिभागियों का सहयोग शामिल है तथा जिसे पक्षों या कार्यकारी एजेन्टों द्वारा लिखित में संयुक्त अनुसंधान के रूप में निर्धारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब निधिकरण केवल एक ही पक्ष द्वारा किया जाता है तो उसे उसी पक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उस परियोजना में प्रतिभागी को नामित किया जाएगा ;

(ङ) 'प्रतिभागी' या 'शोधकर्ता' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति, शैक्षिक संस्थान, शोध संस्थान या अन्य वैधानिक कर्ता से अथवा भारत समुदाय में स्थापित उपक्रम या फर्म से है तथा जिसमें स्वयं पक्षों सहित सहयोगात्मक कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद - 3

सिद्धांत

सहयोग का संचालन निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा:-

(क) संतुलित आपसी हितों के लिए भागीदारी ;

(ख) प्रत्येक पक्ष द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकीय विकास संबंधी गतिविधियों में पारस्परिक उपागम्य;

(ग) जानकारियों का सामयिक आदान - प्रदान जो सहयोगात्मक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं;

(घ) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का समुचित संरक्षण।

अनुच्छेद - 4

सहयोग का कार्यक्षेत्र

इस करार के तहत सहयोग के अंतर्गत अनुसंधान, प्रौद्योगिकीय विकास एवं निदर्शन, जिन्हें इसके बाद 'आर टी डी' के रूप में उल्लिखित किया जाएगा, से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जो अनुकूल वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में यूरोपीय समुदाय तथा भारत में समान आर टी डी गतिविधियां स्थापित करने संबंधी संधि के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत फ्रेमवर्क कार्यक्रम में शामिल हैं।

यह करार समुदाय की अन्य गतिविधियों में भारत की भागीदारी को प्रभावित नहीं करता है।

अनुच्छेद - 5

सहयोग के तरीके

सहयोगात्मक गतिविधियां निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती हैं:-

- फ्रेमवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत आर टी डी परियोजनाओं में भारतीय शोधकर्ताओं की भागीदारी और आर टी डी के समान क्षेत्रों में भारतीय परियोजनाओं में समुदाय में स्थापित शोधकर्ताओं की पारस्परिक भागीदारी। इस प्रकार की सहभागिता प्रत्येक पक्ष में लागू नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन होगी,

- संयुक्त आर टी डी परियोजनाएं: संयुक्त आर टी डी परियोजनाओं का कार्यान्वयन तब किया जाएगा जब प्रतिभागी इस करार के परिशिष्ट में बताए गए अनुसार प्रौद्योगिकी प्रबन्धन योजना (प्रसार और प्रयोग से संबंधित तथा ज्ञान हेतु पहुंच का अधिकार) विकसित कर लेंगे,
- पहले से ही कार्यान्वित आर टी डी परियोजनाओं का निधिकरण प्रत्येक पक्ष के आर टी डी कार्यक्रमों में लागू प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा,
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों के दौरे एवं आदान - प्रदान,
- वैज्ञानिक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, परिसंवादों तथा कार्यशालाओं के संयुक्त आयोजन के साथ - साथ इन गतिविधियों में विशेषज्ञों की प्रतिभागिता,
- वित्त पोषित संयुक्त आर टी डी परियोजनाओं के परिणामों का प्रसार/अनुभवों का आदान - प्रदान करने हेतु सम्मिलित कार्रवाई,
- उन्नत शोध सुविधाओं के सम्मिलित उपयोग सहित उपकरणों एवं सामग्रियों का आदान - प्रदान तथा भागीदारी,
- इस करार के अंतर्गत सहयोग के लिए उचित पद्धतियों, कार्यव्यवहारों, नियमों, विनियमों और कार्यक्रमों पर जानकारियों का आदान - प्रदान,
- कोई अन्य रीति जिसकी कार्य संचालन समिति (स्टीरिंग कमेटी) द्वारा सिफारिश की गई हो और जिसे दोनों पक्षों में लागू नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप समझा जाता हो।

अनुच्छेद - 6

सहयोगात्मक गतिविधियों का समन्वयन एवं सरलीकरण

- (क) इस करार के अंतर्गत सहयोगात्मक गतिविधियों का समन्वयन एवं सरलीकरण भारत की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) तथा समुदाय की ओर से सर्विसेज़ आफ द कमीशन आफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़ जो कार्यकारी एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं, द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
- (ख) कार्यकारी एजेंट इस करार के प्रबन्धन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी) सहयोग की एक संचालन समिति (स्टीरिंग कमेटी) की स्थापना करेंगे जिसे इसके बाद 'स्टीरिंग कमेटी' के रूप में उल्लिखित किया जाएगा ; इस समिति में प्रत्येक पक्ष की ओर से बराबर - बराबर संख्या में सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे और दोनों पक्षों की ओर से सह - अध्यक्ष होंगे ; इसके द्वारा प्रक्रियाओं के नियम स्वयं बनाए जाएंगे।
- (ग) स्टीरिंग कमेटी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:-
- (ते) अनुच्छेद 4 में उल्लिखित किए गए विभिन्न सहयोगात्मक क्रियाकलापों तथा इनके साथ - साथ समुदाय की गतिविधियों के दायरे में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों जिसे ढांचागत कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया और जो इस करार के अधीन सहयोग को प्रभावित एवं संवर्धित कर सकेगी, को प्रोन्नत करना तथा उनका पर्यवेक्षण करना ;
- (त्त) संयुक्त आर टी. डी. परियोजनाओं जो कार्यकारी एजेंटों द्वारा साथ - साथ जारी प्रस्ताव के लिए संयुक्त आह्वान के अनुमोदित पाठ के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुईं, जिनमें पक्षों द्वारा लागत भागीदारी आधार पर प्रायोजित किया जाना है, के विकास को सुविधाजनक बनाना। संयुक्त परियोजनाओं का चयन प्रत्येक पक्ष द्वारा दोनों पक्षों के विशेषज्ञों की संभावित भागीदारी से प्रत्येक पक्ष की सम्बद्ध चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ;

- (त्त) आने वाले वर्ष के लिए अनुच्छेद 5 के पहले और दूसरे मांग पत्रों के अनुवर्तन में, आर टी डी सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों में पारस्परिक हित के वैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र या उप क्षेत्र जिनमें सहयोग की मांग की गई है, का उल्लेख ;
- (त्थ) अनुच्छेद 5 के अनुवर्तन में तृतीय मांग पत्र, दोनों पक्षों के प्रतिभागियों को उनकी परियोजनाओं की पूर्णता का प्रस्ताव करना जो पारस्परिक हित के होंगे तथा पूरक होंगे;
- (द) अनुच्छेद 5 के चार से आठ तक के मांग पत्र के अनुवर्तन में सिफारिशें करना;
- (ध) दोनों पक्षों को इस करार में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुरूप सहयोग में वृद्धि तथा सुधार लाने के तरीकों के बारे में सुझाव देना ;
- (धत्) इसमें शामिल कार्यकलापों सहित इस करार के प्रभावी कार्यकरण एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करना ;
- (धत्त) दोनों पक्षों को वार्षिक रूप से इस करार के तहत शुरू किए गए सहयोग की स्थिति, उपलब्धि तथा प्रभावशीलता पर रिपोर्ट उपलब्ध कराना। यह रिपोर्ट भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच सहभागिता एवं विकास पर सम्पन्न सहयोग करार के दायरे के तहत स्थापित संयुक्त आयोग को परिचालित की जाएगी।

- (घ) स्टीरिंग कमेटी की सामान्य नियम के रूप में वार्षिक बैठक होगी जो मुख्यतः सहभागिता एवं विकास पर भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच सम्पन्न सहयोग के करार के दायरे में तथा संयुक्त रूप से सहमत अनुसूची के अनुसार स्थापित संयुक्त आयोग की बैठक के पहले की जाएगी, यह बैठक भारत तथा समुदाय में एक - एक बार होगी। किसी एक पक्ष के अनुरोध पर असाधारण बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।
- (ङ) स्टीरिंग कमेटी में निर्णय आम सहमति के आधार पर लिए जाएंगे। प्रत्येक बैठक में कार्यवृत्त जिसमें निर्णयों का अभिलेख और मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा का उल्लेख होगा, उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यवृत्तों को स्टीरिंग कमेटी के मनोनीत सह - अध्यक्षों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
- (च) स्टीरिंग कमेटी की बैठक के लिए प्रतिभागियों के लिए यात्रा तथा आवास पर होने वाले व्यय का वहन उनसे संबंधित पक्षों द्वारा किया जाएगा। स्टीरिंग कमेटी की बैठक से संबंधित किसी अन्य व्यय का वहन मेजबान पक्ष द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद - 7

वित्त पोषण

- (क) सहयोगात्मक गतिविधियां समुचित निधियों की उपलब्धता एवं प्रत्येक पक्ष के सीमा क्षेत्र में लागू नियमों एवं विनियमों (जिनमें कर एवं सीमाशुल्क छूट संबंधी नियम भी शामिल हैं) के अध्यक्षीन और दोनों पक्षों की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार होंगी।
- (ख) चुनिंदा सहयोगात्मक गतिविधियों पर किया जाने वाला व्यय एक पक्ष से दूसरे पक्ष को निधियों का हस्तान्तरण किए बगैर ही सहभागियों द्वारा वहन किया जाएगा।

- (ग) सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए एक कार्यान्वयन व्यवस्था के द्वारा सुस्पष्ट प्रशासनिक तथा वित्तीय रूपात्मकता को व्यापक रूप से उल्लिखित किया जाएगा।
- (घ) भारत को शामिल करते हुए सामुदायिक गतिविधियों के तहत प्रायोजित आर. टी. डी. परियोजनाओं को अनुच्छेद (ख) तथा (ग) के तहत उल्लिखित प्रावधानों से अलग रखा जाएगा।

अनुच्छेद - 8

व्यक्तियों तथा उपकरणों का प्रवेश

इस करार के प्रावधानों के तहत पक्षों द्वारा अभिज्ञात सहयोगात्मक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों अथवा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को उसकी सीमा में प्रवेश करने, निवास व बाहर निकलने को आसान बनाने के लिए प्रत्येक पक्ष अपनी सीमा में लागू कानूनों व विनियमों के अन्दर रहते हुए हर सम्भव कदम उठाएगा तथा इसके इस्तेमाल के लिए अपने श्रेष्ठतम प्रयास करेगा।

अनुच्छेद - 9

सूचना का प्रसार व उपयोग

इस करार के अन्तर्गत किए जाने वाले संयुक्त अनुसंधानों के फलस्वरूप सूचनाओं का प्रचार - प्रसार तथा उपयोग और बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के प्रबन्धन, आबंटन व उपयोग कार्य अनुबंध की जरूरतों के अधीन होंगे। यह अनुबंध इस समझौते का अभिन्न अंग माना जाएगा।

अनुच्छेद - 10

क्षेत्रीय अनुप्रयोग

यह करार संधि में निर्धारित शर्तों के अधीन एक ओर भारत के क्षेत्राधिकार में और दूसरी ओर यूरोपीय समुदाय को स्थापित करने वाली संधि के क्षेत्रों में लागू होगा। यह करार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उच्च समुद्रों, बाहरी अन्तर्िक्ष अथवा तीसरे देश की राज्य सीमा में सहयोगात्मक गतिविधियों के आचरण को बाधित नहीं करेगा।

अनुच्छेद -11

लागू होना, निरस्तीकरण व विवादों का निपटारा

- (क) यह करार उस तिथि से लागू होगा जिस दिन सभी पक्ष एक दूसरे को लिखित रूप में यह अधिसूचित कर देंगे कि इसे लागू करने के लिए जरूरी सम्बद्ध आन्तरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं।
- (ख) यह करार पांच वर्षों के लिए किया जाएगा और प्रत्येक ऊपर वर्णित अवधि के अंतिम वर्ष के दौरान मूल्यांकन करने के पश्चात् दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से इसका नवीकरण किया जा सकता है।
- (ग) दोनों पक्षों की सहमति से इस करार में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन उस तिथि से लागू होंगे जिस तिथि को सभी पक्ष एक दूसरे को लिखित रूप में यह अधिसूचित कर देंगे कि इस करार में संशोधन करने के लिए उनकी सम्बद्ध जरूरी आंतरिक प्रक्रियायें पूरी हो चुकी हैं।

- (घ) इस करार को किसी भी पक्ष द्वारा छः महीने के लिखित नोटिस के द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इस करार के समाप्त हो जाने अथवा समाप्त कर दिए जाने से इसके तहत की गई किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं की वैधता या अवधि अथवा अनुबंध की अनुपालना से उत्पन्न होने वाली देयताओं तथा अन्य विशिष्ट अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ङ) इस करार की व्याख्या अथवा कार्यान्वयन से जुड़े सभी प्रकार के विवादों व सवालों को सभी पक्षों के बीच पारस्परिक समझौते से सुलझाया जाएगा।

अनुच्छेद -12

यह करार बुल्गारियाई, चेक, डैनिश, डच, अंग्रेजी, एस्टोनियन, फिनीश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हंगरियाई, इतालवी, लाटिवियन, लिथुअनियाई, माल्टीज, पोलिश, पुर्तगाली, रोमानियाई, स्लोवाक, स्लोवेनियन, स्पैनिश, स्वीडिश और हिन्दी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में तैयार किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप अधोहस्ताक्षरी जिन्हें इस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत रूप से अधिकृत किया गया है, द्वारा नई दिल्ली में वर्ष दो हजार सात के नवम्बर माह के तीसवें दिन इस करार पर हस्ताक्षर किये गये।

Съставено в Ню Делхи на тридесети ноември две хиляди и седма година.
Hecho en Nueva Delhi, el treinta de noviembre de dos mil siete.
V Dillí dne třicátého listopadu dva tisíce sedm.
Udfærdiget i New Delhi den tredivte november to tusind og syv.
Geschehen zu New Delhi am dreißigsten November zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kolmekümmendal päeval New Delhis.
Έγινε στο Νέο Δελχί, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at New Delhi on the thirtieth day of November in the year two thousand and seven.
Fait à New Delhi, le trente novembre deux mille sept.
Fatto a Nuova Delhi, addì trenta novembre duemilasette.
Nūdēli, divtūkstoš septītā gada trīsdesmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio trisdešimtą dieną Naujajame Delyje.
Kelt Újdelhiben, a kétezer-hetedik év november harmincadik napján.
Magħmul fi New Delhi, fit-tletin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgha.
Gedaan te New Delhi, de dertigste november tweeduizend zeven.
Sporządzono w Nowym Delhi dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Nova Delhi, em trinta de Novembro de dois mil e sete.
Întocmit la New Delhi, la treizeci noiembrie două mii șapte.
V Dillí dňa tridsiateho novembra dvetisícšedem.
V New Delhiju, dne tridesetega novembra leta dva tisoč sedem.
Tehty New Delhissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i New Delhi den trettionde november tjugohundrasju.
करार नई दिल्ली में वर्ष दो हजार सात के नवम्बर माह के तीसवें दिन किया गया

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
यूरोपीय समुदाय की ओर से

За правителството на Република Индия
Por el Gobierno de la República de la India
Za vládu Indické republiky
For regeringen for Republikken Indien
Für die Regierung der Republik Indien
India Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας
For the Government of the Republic of India
Pour le gouvernement de la République de l'Inde
Per il governo della Repubblica dell'India
Indijas Republikas valdības vārdā
Indijos Respublikos Vyriausybės vardu
Az Indiai Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja
Voor de Regering van de Republiek India
W imieniu Rządu Republiki Indii
Pelo Governo da República da Índia
Pentru Guvernul Republicii India
Za vládu Indické republiky
Za Vlado Republike Indije
Intian tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Indiens regering
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

इस करार के तहत सृजित अथवा प्रस्तुत किए जाने वाले बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों को इस अनुबंध के प्रावधानों के आधार पर आबंटित किया जाएगा।

अनुप्रयोग

यह अनुबंध सभी पक्षों द्वारा की गई अन्यथा सहमतियों को छोड़कर इस करार के अनुसरण में आरंभ किए जाने वाले संयुक्त अनुसंधान कार्यों पर लागू होगा।

❖ अधिकारों का स्वामित्व, आबंटन तथा उपयोग

1. इस अनुबंध के प्रयोजनार्थ " बौद्धिक सम्पदा" को इस करार के अनुच्छेद 2 (ग) में परिभाषित किया गया है।
2. यह अनुबंध अधिकारों के आबंटन व सभी पक्षों के हितों और उनकी सहभागिता का उल्लेख करता है। प्रत्येक पक्ष तथा उसके प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दूसरा पक्ष व उसके सभी प्रतिभागी इस अनुबंध के अनुसार ही उन्हें आबंटित किए गए बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। यह अनुबंध अन्यथा प्रकार से एक पक्ष तथा उसके नागरिकों अथवा प्रतिभागियों के बीच अधिकारों, हितों व स्वामित्वों के आबंटन में परिवर्तन नहीं करता है अथवा उनके साथ कोई पक्षपात नहीं करता है, और सूचना का प्रसार व समपयोजन करने संबंधी नियमावली का निर्धारण प्रत्येक पक्ष के कानूनों व व्यवहारों के आधार पर किया जाएगा।

3. पक्षों के मार्गदर्शन कार्य व संविदात्मक व्यवस्थाएं निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी :-

(क) बौद्धिक सम्पदा की प्रभावकारी सुरक्षा। सभी पक्षों को सुनिश्चित करना होगा कि वे तथा/अथवा उनके प्रतिभागी करार के तहत अथवा कार्यान्वयन की व्यवस्थाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली किसी भी बौद्धिक सम्पदा के सृजन के बारे में यथोचित समय के अंतर्गत एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे और इस बौद्धिक सम्पदा के लिए समयबद्ध लोकाचार के अंतर्गत सुरक्षा की मांग करेंगे ;

(ख) पक्षों तथा उनके प्रतिभागियों के योगदानों को ध्यान में रखते हुए परिणामों का प्रभावकारी तरीके से दोहन करना ;

(ग) सूचना के स्वामित्व, उपयोग और प्रसार और बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों के स्वामित्व, आबंटन एवं उपयोग के संबंध में स्वयं के प्रतिभागियों को प्रदान की गई सुविधाओं की तुलना में दूसरे पक्ष के प्रतिभागियों के साथ भेदभाव रहित आचरण करना ;

(घ) व्यापार-गोपनीयता संबंधी जानकारी की सुरक्षा।

4. सहभागियों को आपस में मिलकर एक प्रौद्योगिकी प्रबंधन योजना (टी एम पी) तैयार करनी होगी। टी एम पी एक विशेष प्रकार का समझौता है जो सहभागियों द्वारा संयुक्त अनुसंधान के क्षेत्र में सम्पन्न करना होता है जिसमें स्वामित्व तथा उपयोग संबंधी उनके सम्बद्ध अधिकारों व देयताओं को परिभाषित किया जाता है, साथ ही संयुक्त अनुसंधान की प्रक्रिया में सृजित होने वाली बौद्धिक सम्पदा के बारे में जानकारी को प्रकाशित भी करना होता ।
- बौद्धिक सम्पदा के संबंध में टी एम पी में सामान्यतः अन्य बातों के साथ-साथ स्वामित्व, सुरक्षा, अनुसंधान एवं विकास प्रयोजनों हेतु प्रयोक्ता के अधिकारों का दोहन एवं प्रचार प्रसार का उल्लेख किया जाएगा जिनमें संयुक्त प्रकाशनों की व्यवस्था, भ्रमणकारी अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों व देयताओं और विवाद निवारण की प्रक्रियाएं भी शामिल होंगी। टी.एम.पी. में अग्रभूमि व पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी, लाइसेंसिंग तथा सुपुर्दगी योग्य वस्तुओं के बारे में भी उल्लेख किया जाएगा। टी.एम.पी. को प्रत्येक पक्ष में लागू नियमों व विनियमों के अन्दर रहकर तैयार किया जाएगा जिसमें संयुक्त अनुसंधान के लक्ष्यों, पक्षों और सहभागियों के सापेक्ष वित्तीय अथवा अन्य योगदानों, क्षेत्र द्वारा अथवा उपयोग के क्षेत्रों में लाइसेंसिंग के फायदे व नुकसान, लागू कानूनों द्वारा लगाई गई अपेक्षाओं, विवादों की निराकरण प्रक्रिया संबंधी जरूरतों तथा सहभागियों द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। बौद्धिक सम्पदा के संबंध में भ्रमणकारी अनुसंधाताओं (अर्थात् किसी पक्ष अथवा सहभागी से आने वाले अनुसंधाताओं को छोड़कर) द्वारा उत्पन्न किए गए अनुसंधानों से जुड़े हुए अधिकारों व देयताओं का भी संयुक्त प्रौद्योगिकी प्रबंधन योजनाओं में उल्लेख किया जाएगा। जिन विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास सहयोग संविदाओं से वे सम्बद्ध रहे हैं उन्हें अंतिम रूप देने से पहले टी.एम.पी. को, उत्तरदायी वित्तपोषक एजेंसी अथवा अनुसंधान के वित्त पोषण में शामिल पक्ष के विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5. संयुक्त अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित कोई जानकारी अथवा बौद्धिक सम्पदा जिसका टी.एम.पी. में उल्लेख नहीं किया गया हो उसे टी.एम.पी. में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार आबंटित कर दिया जाएगा। ऐसी असहमति की स्थिति में जिसे मान्य विवाद निवारण प्रक्रिया के द्वारा हल नहीं किया जा सकता ऐसी सूचना या बौद्धिक सम्पदा पर उन सभी सहभागियों का संयुक्त स्वामित्व होगा जो कि उस संयुक्त अनुसंधान कार्य से जुड़े हुए हों जिनसे यह जानकारी अथवा बौद्धिक सम्पदा प्राप्त हुई है। प्रत्येक सहभागी, जिस पर यह प्रावधान लागू होता है उसे यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह ऐसी जानकारी अथवा बौद्धिक सम्पदा का उपयोग अपने वाणिज्यिक दोहन के लिए कर सकेगा जिसकी कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं होंगी।
6. लागू कानूनों के अनुसार प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि दूसरे पक्ष तथा उसके सहभागियों को उन्हें आबंटित बौद्धिक सम्पदा के अधिकार प्राप्त होंगे।
7. करार के द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की दशाएं बनाए रखते समय प्रत्येक पक्ष को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा कि करार के अनुवर्तन स्वरूप प्राप्त किए गए अधिकारों व इसके अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं का प्रयोग विशेष तौर पर निम्नलिखित दिशाओं में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया जाए :
 - (त) करार के तहत सृजित अथवा प्रकट अथवा अन्यथा उपलब्ध कराई गई जानकारियों का प्रचार प्रसार करने, और
 - (त्त) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने और कार्यान्वित करने
8. करार की वैधता समाप्त हो जाने या इसे समाप्त कर दिए जाने की दशा में इस अनुबंध के अनुसार अनुमोदित चल रही परियोजनाओं के अंतर्गत सहभागियों को बौद्धिक सम्पदा के संबंध में अधिकारों और देयताओं पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

रुद्र: कापीराइट तथा वैज्ञानिक साहित्यिक कार्य

पक्षों अथवा उनके सहभागियों से संबंधित कापीराइट के संबंध में बर्ने कन्वेंशन (पेरिस अधिनियम 1971) तथा ट्रिप्स समझौते के अनुकूल व्यवहार किया जाएगा। खण्ड रुद्र के पूर्वाग्रह के बिना तथा टी एम पी में किसी प्रकार का अन्य करार न कर दिए जाने तक अनुसंधान कार्यों के परिणामों को सभी पक्षों अथवा सहभागियों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाएगा। ऊपर विवरणित सामान्य नियमों के अधीन निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी :-

1. करार का अनुसरण करते हुए एक पक्ष या उस पक्ष के सार्वजनिक निकायों द्वारा संयुक्त अनुसंधान कार्यों से प्राप्त होने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों, लेखों, प्रतिवेदनों, पुस्तकों जिनमें वीडियो तथा सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं, के प्रकाशन के मामले में दूसरा पक्ष इन कार्यों का अनुवाद, पुनः प्रकाशन करने, रूपान्तरण करने, संचारित करने व सार्वजनिक रूप से वितरण करने हेतु विश्वव्यापी, अनएकाधिकारी अपरिवर्तनीय स्तर पर रॉयल्टी मुक्त लाइसेंस के लिए हकदार होगा।
2. सभी पक्ष करार के अनुसरण में संयुक्त अनुसंधान कार्यों और स्वतंत्र प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित साहित्य से सृजित होने वाले वैज्ञानिक प्रकृति वाले साहित्यिक कार्यों का यथासंभव व्यापक प्रचार - प्रसार करेंगे।
3. इस प्रावधान के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से वितरित तथा तैयार किये गये कॉपीराइट कार्य की सभी प्रतियों में लेखक(कों) का नाम दिया जाना चाहिए जब तक कि लेखक स्वयं ही स्पष्ट रूप से अपना नाम देने से मना न कर दें। प्रतियों में स्पष्ट रूप से पक्षों की सहयोगी सहायता का आभार भी होना चाहिए।

अप्रकट सूचना

क. दस्तावेजी अप्रकट सूचना

1. प्रत्येक पक्ष, इसकी एजेंसियां अथवा इनके भागीदार, जो भी हों, यथाशीघ्र तथा प्राथमिक रूप से टी एम पी में यह सूचना दें कि निम्नलिखित मानदण्डों के साथ-साथ करार के संबंध में वे अप्रकट रहना चाहते हैं :-

(क) सूचना को इस अर्थ में गुप्त रखना कि वह एक निकाय अथवा परिशुद्ध विन्यास अथवा इसके पुर्जों की असेम्बली के रूप में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों में सामान्य रूप से ज्ञात है या वैधानिक तरीकों से आसानी से उपलब्ध है ;

(ख) इसकी गोपनीयता के कारण सूचना का वास्तविक अथवा संभाव्य वाणिज्यी मूल्य ;

(ग) सूचना की पहले की सुरक्षा, उस अर्थ में कि इसकी गोपनीयता रखने के लिए कानूनन इसका नियंत्रण करने वाले व्यक्ति द्वारा उन परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसे उपाय करना उचित था। पक्ष तथा उनके भागीदार कुछ मामलों में सहमत हो सकते हैं कि जब तक अन्यथा बताया न जाए, तब तक करार के फलस्वरूप किए गए संयुक्त अनुसंधान में उपलब्ध, हस्तांतरित अथवा निर्मित पूर्ण अथवा आंशिक सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

2. प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करें कि वह तथा उसके भागीदार स्पष्ट रूप से अप्रकट सूचना की पहचान करें उदाहरण के लिए एक उपयुक्त संकेत अथवा नियामक लेख के माध्यम से। यह उपर्युक्त सूचना के पूर्ण अथवा आंशिक प्रस्तुतीकरण के लिए भी लागू हैं। करार के अंतर्गत अप्रकट सूचना प्राप्त करने वाला पक्ष इसकी विशेष प्रकृति का आदर करेगा। सूचना के स्वामी द्वारा सूचना को सार्वजनिक करने पर ये प्रतिबंध स्वतः रूप से समाप्त हो जाएंगे।
3. करार के अंतर्गत संचारित अप्रकट सूचना, प्राप्त करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता पक्ष के व्यक्तियों अथवा इसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों तथा प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा संयुक्त अनुसंधान के विशिष्ट कार्यों के लिए प्राधिकृत अन्य संबद्ध विभागों अथवा एजेंसियों में प्रचारित की जा सकती है, बशर्ते ऐसी अप्रचारित सूचना गोपनीयता के एक लिखित करार पर दी गई हो और, जैसा कि ऊपर दिया गया है इसे आसानी से पहचाना जा सके।
4. इस करार के अंतर्गत अप्रकट सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्ष की प्रारंभिक लिखित स्वीकृति से, प्राप्तकर्ता पक्ष ऐसी अप्रकट सूचना को पैरा 3 में दी गई स्वीकृति से अधिक विस्तार से प्रचारित कर सकता है। ऐसे विस्तृत प्रचार के लिए लिखित स्वीकृति की प्रार्थना करने तथा प्राप्त करने हेतु क्रियाविधियों का विकास करने के लिए सभी पक्ष सहयोग करेंगे तथा प्रत्येक पक्ष अपनी घरेलू नीतियों, विनियमों तथा कानूनों द्वारा स्वीकृत हद तक ऐसा अनुमोदन देंगे।

(ख) गैर दस्तावेजी अप्रकट सूचना

इस करार के अंतर्गत आयोजित सेमिनारों तथा अन्य बैठकों में दी गई गैर-दस्तावेजी अप्रकट अथवा अन्य गोपनीय सूचना अथवा स्टाफ की अटैचमेंट, सुविधाओं के प्रयोग, अथवा संयुक्त परियोजनाओं से प्राप्त सूचना का प्रयोग पक्षों अथवा उनके प्रतिभागियों द्वारा इस समझौते में दस्तावेजी सूचना हेतु दिए गए विशिष्ट सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ; बशर्ते, कि ऐसी अप्रकट अथवा अन्य गोपनीय अथवा विशेष सूचना प्राप्त करने वाले को संचारित सूचना की गोपनीयता के बारे में लिखित में पहले ही बता दिया गया हो।

(ग) नियंत्रण

प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इस समझौते के अंतर्गत उसके द्वारा प्राप्त अप्रकट सूचना का नियंत्रण इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार हो। यदि एक पक्ष को पता चले कि यह खण्ड (क) तथा (ख) के अप्रचार प्रावधानों को पूरा करने में असफल है अथवा उसे असफल हो जाने की आशंका है, तो वह अन्य पक्ष को तुरन्त ही सूचित करेगा। तत्पश्चात दोनों पक्ष उपयुक्त कार्रवाई तय करने के लिए विचार-विमर्श करेंगे।

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test precedentti huwa kopja ċcertifikata vera ta' l-original ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi,
Briselë,
Brüselis,
Brüsszel,
Brussel, il
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

0 3 DEC. 2007

За Генералния секретар/Висш представител на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Union Europea
Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
For Generalsekretæren/højstændte repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
Για το Γενικό Γραμματέα/Υπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/főképviselője részéről
Għas-Segretarju Ġenerali/Rapprezentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General/Înaltul Reprezentant al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreteraren/høge representantens för Europeiska unionens råd vägnar


K. GRETSCHMANN
Directeur Général